



2026:AHC-LKO:564-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 8 सन 2026

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग
लखनऊ एवं एक अन्य

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

आनंद कुमार मिश्रा एवं एक अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	राकेश कुमार सिंह, राज कुमार उपाध्याय (आर.के. उपाध्याय)

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

(सी.एम. आवेदन संख्या 01 / 2026 पर आदेश)

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह अपील राज्य-अपीलकर्ता(ओं) द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए संख्या 3664/2023 (आनंद कुमार मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 06.10.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।
3. इस अपील को दायर करने में लगभग 45 दिनों का विलंब हुआ है।
4. प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं को विलंब माफी हेतु आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है।
5. हमने विलंब माफी हेतु आवेदन के समर्थन में दायर शपथ-पत्र का अध्ययन किया है और पाया है कि उसमें उल्लिखित कारण पर्याप्त हैं।
6. तदनुसार, हम विलंब को **माफ** करते हैं। आवेदन को **अनुमति** दी जाती है।
7. अपील को एक नियमित क्रमांक आवंटित किया जाए।

(अपील पर आदेश)

1. सुनवाई हुई।
2. अपीलकर्ता ने प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से दिए गए एक वचन पर भरोसा किया है, जिसमें त्रुटि के कारण उसे भुगतान किए गए अतिरिक्त वेतन के समायोजन/वसूली का प्रावधान है। लेकिन यह दस्तावेज़, जिस पर कथित तौर पर 27.11.2019 को हस्ताक्षर किए गए थे, रिट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि इसे इस अपील के साथ कैसे संलग्न किया गया है, जबकि चुनौती दिए गए निर्णय के पुनरीक्षण के लिए दस्तावेज़ संलग्न करते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की जा सकती थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. इसलिए, हम इस अपील का **निस्तारण** बिना आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किए करते हैं। हालांकि, अपीलकर्ता को उपरोक्त आधार पर इसके पुनरीक्षण के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता है, बशर्ते प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को आपत्ति का अधिकार हो।

जनवरी 6, 2026

प्रवीण

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।